संख्या-37/2021/434/71-3-2021-

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
बहराइच।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 23 मार्च, 2021

विषयः- स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच के कोविड चिकित्सालय के संचालन एवं कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों के उपचार/प्रबन्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र मद में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के उपरांत अवशेष धनराशि से उपकरणों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-मे0का0ब0/उप0/क्रय/2020-21/2370, दिनांक 02.03.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच के कोविड चिकित्सालय के संचालन एवं कोरोना से संक्रमित रोगियों के उपचार/प्रबन्धन हेतु 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र मद में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के उपरांत अवशेष धनराशि से उपकरण क्रय की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच हेतु उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 02.03.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी उपकरणों की सूची निम्न विववरणानुसार अनुमोदित करते हुए शासनादेश दिनांक 25.08.2020 एवं 04.09.2020 द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि से क्रय किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र0स0	उपकरण /सामाग्री	मात्रा	अनुमानित धनराशि	औचित्य
1	- 80 डिग्री रेफरीजरेटर	01 अद्द	1000000.00	रक्त कोष एवं दन्त रोग विभाग हेतु
2	- 40 डिग्री रेफरीजरेटर	01 अद्द	600000.00	
3	-ह्यूमीडिफायर	10 अद्द	500000.00	
4	डेन्टल चेयर	01 अद्द	500000.00	
5	डेन्टल एक्स-रे	01 अद्द	300000.00	
		योग	2900000.00	

1. उक्त स्वीकृत धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करके किया जाएगा।
2. डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उपकरण की वास्तविक रूप से आवश्यकता है।
3. प्रश्नगत उपकरण का क्रय एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत उपकरणों के मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी।
4. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. राजकीय मेडिकल कालेजो एवं संस्थानों में उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा जहॉ एस0जी0पी0जी0आई0 /के0जी0एम0यू/राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के टेण्डर डाक्यूमेंट उपलब्ध है, उनका प्रयोग कर क्रय कर लिया जाए। अवशेष उपकरण एस0जी0पी0जी0आई0/ के0जी0एम0यू/राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के प्रचलित रेट अनुबन्ध से क्रय कर लिया जाए।
6. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24 मार्च, 2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. शासनादेश संख्या-45/2020/887/71-3-2020-एनएम-08/2019, दिनांक 25.08.2020 एंव संख्या-48/2020/891-ए/71-3-2020-एनएम-05/2018टीसी-1, दिनांक 04.09.2020 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण का क्रय किये जाए। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण/गुणवत्ता व उसका ऑडिट कराने आदि की जिम्मेदारी क्रय की जाने वाली संस्था की होगी।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या:-37/2021/434(1)/71-3-2021, तद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।